दिनांक 27.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 30/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद महराजगंज/थाना घुघली

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 26.09.2020 को थाना घुघली व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम ढोढीला पुल के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी सुभम उर्फ सिघाडा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1228/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना घुघली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुभम उर्फ सिघाडा नि0 मोतीराम अड्डा थाना झंगहा गोरखपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

2–01 मोटरसाइकिल

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- **20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 27.09.2020 को थाना करहल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घिरोर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी गुल्लो उर्फ हलीम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना करहल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2019 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना करहल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुल्लो उर्फ हलीम नि0 गोहद थाना गोहद चौराहा भिंड, म0प्र0।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध तमंचा 315 बोर, 202 जीवित कारतूस 315 बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे बरामद**

दिनांक 27.09.2020 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैराज से धर्मनगरी को जाने वाले रास्ते के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते 04 शातिर अभियुक्तों 1–सतपाल 2–इतेन्द्र 3–सुहैल उर्फ सोनू 4–अतुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 08 अवैध तमंचा 315 बोर, 202 जीवित कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतपाल नि0 नरायणपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।
2–इतेन्द्र नि0 तिबडी थाना धामपुर जनपद अमरोहा।
3–सुहैल उर्फ सोनू निवासी डूग कालोनी मो0 किला थाना अफजलगढ़ बिजनौर।
4–अतुल नि0 ग्राम पुरैना थाना नूरपुर बिजनौर।

<u>बरामदगी</u>

1—08 अवैध तमंचा 315 बोर, 202 जीवित कारतूस 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे।

<u>जनपद हापुड़/थाना धौलाना</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 26/27.09.2020 की रात्रि थाना धौलाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम गालंद नहर मोड़ के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कैलाश उर्फ बिट्टू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कैलाश उर्फ बिट्टू नि0 ग्राम पुठ्ठी थाना बिनोली बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटरसाइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 25 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाला जनपद का टॉप–10 हिस्ट्रीशीटर अपराधी इमलाख द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 25 करोड़ रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद बागपत/ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 01 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बागपत पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी सुनील राठी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत 01 करोड़ 20 लाख रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 01 करोड़ 05 लाख 10 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी राजीव कुमार उर्फ राजू सोनार द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत 01 करोड़ 05 लाख 10 हजार रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना हंसवर (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की 02 करोड़ 25 लाखरूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी खान मुबारक द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत 02 करोड़ 25 लाख रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।